कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)

:: साईकिल/वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना ::

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नवीन न्यायालय भवन गंजबासौदा में **साईकिल/वाहन स्टेण्ड** के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। साईकिल/वाहन स्टेण्ड संचालन इस निविदा के प्रकाशन के दिनांक से **04.03.2025** तक जिला न्यायालय विदिशा के नजारत अनुभाग सें अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क **रूपये 200/–** का डीडी/नगद जमा कर अनुबंध की शर्ते एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक **04.03.2025** तक जिला न्यायालय विदिशा के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते हे। निविदा दिनांक **11.03.2025** को **सायं 05:00 बजे** निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्ते एवं सम्पूर्ण जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की बेवसाईड www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय विदिशा की बेवसाईड www.vidisha.dcourt.gov.in पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा म.प्र.

<u>**वाहन स्टेण्ड हेतु निविदा फार्म एवं शर्तेः:–**</u>

<u>**निविदा फार्म**</u>

निविदा प्रपत्र क्र.

प्रथम पक्ष

निविदाकर्ता का नाम– ....

पता– ....

....

मोबा.नं. ....

द्वितीय पक्ष   जिला रजिस्ट्रार

कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म.प्र.

न्यायालय परिसर गंजबासौदा स्थित आने जाने वाले वाहनों के लिये वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से एक वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तो के अध्ययाधीन निविदाए आमंत्रित की जाती है :–

<u>**//निर्धारित शर्ते//**</u>

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाए **दिनांक 04.03.2024 के सायं 05:00 बजे** तक स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात निविदाओं पर कोई विचार नही किया जावेगा।

2. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी उस निविदाकर्ता के साथ वाहन स्टेंड का संचालन एक वर्ष के लिये किये जाने हेतु दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध संपादित किया जावेगा। वाहन स्टेंड के संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन स्टेंड के संचालन हेतु एक वर्ष की वृद्धि अंनतिम बोली की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रथम पक्ष द्वारा संपूर्ण राशि जमा करने पर की जा सकती है। इस हेतु निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्ति के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन पत्र द्वितीय पक्ष को देना होगा। अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्त उल्लेखित अनुक्रमांक 2 के अनुसार ही प्रथम पक्ष को अदा करनी होगी।

3. निविदिाकर्ता को निविदा फार्म के साथ **70,000/–** की अमानत राशि प्रधान जिला न्यायाधीश विदिशा को देय डिमांड ड्राफट के रूप में रूप में प्रस्तुत करना होगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफट लौटा दिया जावेगा, किन्तु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि

निविदाकर्ता और प्रधान जिला न्यायाधीश विदिशा के संयुक्त नाम की बैंक एफ.डी. आर. के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जायेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तो का किसी भी रूप में उल्लंघन किये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा सम्पहृत की जा सकेगी।

4. सफल निविदाकर्ता संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा, परंतु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

5. वाहन स्टेंड संचालन 01 वर्ष हेतु अनुबंध पर दिया जा रहा है। जिसकी न्यूनतम मासिक शुल्क 68600/–, 12 वर्ष की एकमुश्त राशि 8,23,200/– निर्धारित की गई है। निर्धारित राशि प्रतिमाह 10 तारीख तक ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा कर, रसीद नजारत अनुभाग में प्रस्तुत की जावेगी।

6. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध करने की दिनांक को या उससे पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक छः माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष को होगा।

7. अनुबंध की शर्तो का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के वाहन स्टेंड अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जा सकेगी जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नही होगा।

8. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के आदेशानुसार या अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तो में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसको निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

9. वाहन स्टेंड के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बधंनकारी होगा।

10. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नही करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

11. वाहन स्टेण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक किया जावेगा। साथ ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशानुसार ही किया जावेगा।

12. वाहन स्टेण्ड हेतु आवंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आवंटित नहीं करेगा।

13. निविदाकर्ता वाहन स्टेंड संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

14. प्रथम पक्ष उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु साईकिल स्टेंड परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न नही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साईकिल स्टेंड परिसर में कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर वाहन स्टेंड का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

15. समय– समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत / कर्मचारी द्वारा साईकिल स्टेंड परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा।

16. निविदाकर्ता वाहन स्टेंड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय–समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर वाहन स्टेंड का आवश्यक रूप से संचालन किया जायेगा।

17. निविदाकर्ता वाहन स्टेंड का संचालन के दौरान उन्हें आवटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण / संरचना नही किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेंड संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरांत की कर सकेंगे जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण के स्वंय के व्यय पर हटायेगा।

18. निविदाकर्ता वाहन स्टेंड तथा आस–पास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा। किसी भी प्रकार का प्रदूषण चाहे वह ध्वनि प्रदूषण की क्यों न हो, नही करेगा। अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस 100/– की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

19. प्रथम पक्ष वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा, जिससे पक्षकारो तथा अन्य वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो तथा सार्वजनिक व अन्य मार्ग पर वाहन पार्किग न तो स्वंय करेगा न अन्य को करने देगा।

20. सामान्यतः प्रथम पक्ष दोपहिया वाहन/ चार पहिया वाहन के लिये अधिकतम निम्नानुसार पार्किग शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा –

1. सायकल – 2/– प्रतिदिन अथवा 50/–मासिक

2. दोपहिया – 10/– प्रतिदिन अथवा200/– मासिक

3. चार पहिया वाहन एवं अन्य–15/–प्रतिदिन अथवा 300/– मासिक

किन्तु न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण को एवं अन्य शासकीय विभाग के कर्मचारियों एवं विकलांगो को वाहन स्थान पर अपने वाहनों को निःशुल्क रखने की पात्रता होगी।

अनुमोदित पार्किग शुल्क की दरों को प्रथम पक्ष को निज व्यय पर सहजदृश्य भागो पर लोक प्रदर्शित करना होगा।

21. प्रथम पक्ष वाहन स्वामियों से सभ्यापूर्वक व्यवहार करेगा, साथ ही वाहनो की सुरक्षा का दायित्व भी प्रथम पक्ष का ही रहेगा।

22. प्रथम पक्ष वाहन स्थान के संचालन के लिये किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी को नियोजित नही करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार जिला न्यायालय से अनुमोदित करायी जायेगी तथा प्रथम पक्ष अपने कर्मचारियों का पहचान पत्र जारी करेगा जो उसे धारण करना होगा।

23. निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से स्टेंड बंद नही रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा 500/– प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

24. स्टेंड के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नही रहेगा।

25. न्यायालय परिसर स्थित पूर्ण स्टेंड परिसर यथावत स्थिति में उपलब्ध कराया जायेगा।

26. वाहन स्टेंड प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 8:00 बजे से सायकाल 7:30 बजे तक ही चलायी जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

27. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जायेगे। उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकेगी।

28. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प डयूटी निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष) के व्यय से निष्पादन किया जायेगा।

29. द्वितीय पक्ष द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तो का उल्लघंन करने/विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियो, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा। उनकी निविदा पर विचार नही किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।

30. कार्यालय जिला न्यायालय, विदिशा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तो में से किसी शर्त को परिवर्तित/ परिवर्धित अथवा रदद कर सकता है।

31. सफल निविदाकर्ता स्वयं के व्यय पर न्यायालय के मुख्य गेट में चलायमान अस्थायी बेरीकेट स्थापित करेगा।

32. तहसील न्यायालय गंजबासौदा में स्थित साईकिल/वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित स्थान का अवलोकन नायब नाजिर गंजबासौदा के माध्यम से की जा सकती है।

33. निविदा फॉर्म कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा से कार्यालयीन समय पर दिनांक **04.03.2025** तक रूपये का डीडी/ नगद जमा कर अनुबंध की शर्ते एवं आवेदन प्रारूप प्रापत कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक **04.03.2025** तक जिला न्यायालय विदिशा के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते है निविदा दिनांक **11.03.2025 समय सांय 05:00 बजे** निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्ते एवं सम्पूर्ण जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.mphc.gov एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय विदिशा की बेवसाईड www.vidisha.dcourt.gov.in पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।

34. ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। समिति के निर्णय के विरूद्ध किसी आपत्ति का अंतिम निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा तथा उनका निर्णय सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

35. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा को यह अधिकार होगा कि स्टेण्ड संचालन हेतु दिया गया लाईसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए, बिना पूर्व पूर्व सूचना के निरस्त करके और उस दशा में आवंटिती को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में स्टेण्ड का संचालन बंद करना होगा अन्यथा की स्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह स्थान रिक्त करा ले।

निविदाए दिनांक **11.03.2025** के **सायं 05:00 बजे** उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जावेगी।

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)